

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राजस्थान)

क्रमांक : दत्तकग्रहण आदेश / कोर्ट / 2024 / 157

दिनांक : 20/3/24

अनुसूची 33

[दत्तक ग्रहण विनियम 2022 38 (2) |

दत्तक ग्रहण आदेश

जिला : भरतपुर

राज्य : राजस्थान

भरतपुर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष।

दत्तक ग्रहण आवेदन संख्या :- 04 / 24

वर्ष :- 2024

अभिहित पोर्टल पर भावी दत्तक माता-पिता का पंजीकरण संख्या : PrGu105320206


दत्तक ग्रहण आदेश का प्रकार (कृपया ✓ का चिन्ह लगाए)

1.	दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 10, 11, 12 और 13 के साथ पठित किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 56 (1), 58 और 61 के अधीन अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक या बालकों का देश के भीतर दत्तकग्रहण	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 15, 16, 17 और 18 के साथ पठित किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 56 (4), 59 और 61 के अधीन अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक या बालकों का अंतर-देशीय दत्तकग्रहण	<input type="checkbox"/>
3.	दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 54 के साथ पठित किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 2 (52), 56(2) और 61 के अधीन नातेदार का देश के भीतर दत्तकग्रहण	<input type="checkbox"/>
4.	दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 56, 57, 58 और 59 के साथ पठित किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 2 (52), 60 और 61 के अधीन नातेदार (पारिवारिक अथवा सौतेले) अंतर-देशीय दत्तकग्रहण	<input type="checkbox"/>
5.	दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 55 के साथ पठित किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 39(1), 56(1), और 57(5) और 61 के अधीन सौतेले बालक का देश के भीतर दत्तकग्रहण	<input type="checkbox"/>

भाग 1

(क) आवेदक का नाम और पता (भावी दत्तक माता-पिता) :- श्री कृपेश परेशभाई भंसाली पुत्र श्री परेश चत्रभुज भाई भंसाली एवं श्रीमती वैशाली कृपेशभाई भंसाली पत्नि श्री कृपेश परेशभाई भंसाली निवासी "सच पैलेस" गुनातीत नगर, गली संख्या 01, रैया टैली एक्स, 150 फीट रिंग रोड राजकोट (गुजरात)।



  
जिला कलक्टर  
भरतपुर

- (ख) मान्यता प्राप्त विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण का नाम और पता (नातेदार या सौतेले बालक के दत्तकग्रहण के मामले में लागू नहीं) :- राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी, सेवर मथुरा बाईपास रोड, सरसो अनुराधान केन्द्र के पीछे गोलपुरा रोवर भरतपुर।
- (ग) जिला बाल संरक्षण ईकाई का नाम और पता :- सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाई, 261 राजेन्द्र नगर भरतपुर (राज.)।
- (घ) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण :- राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (राज.), 20/198, कावेरी पथ, सैक्टर-2, मानसरोवर, जगपुर (राज.)

## भाग 2

- (क) यह कि विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी भरतपुर द्वारा जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर के माध्यम से 04.03.2024 को दत्तकग्रहण का आवेदन फाइल किया गया है और दत्तक ग्रहण विनियम की अनुसूची 6 के साथ पठित अनुसूची 9 में यथा उपबंधित जॉच सूची में नियत दस्तावेजों को विधिवत सत्यापित कर लिया गया है।
- (ख) यह कि आवेदकगण ने बालक को एक नया नाम देने के लिये एक शपथ पत्र दायर किया है और सुझाया गया नाम हेनील है तथा तदनुसार बालक को माधव नाम के बजाय हेनील नाम से जाना जायेगा।
- (ग) यह कि दत्तकग्रहण की प्रक्रिया अब सभी प्रकार से पूर्ण हो गयी है और तदनुसार मैं, श्री कृपेश परेशभाई भंसाली पुत्र श्री परेश चत्रभुज भाई भंसाली एवं श्रीमती वैशाली कृपेशभाई भंसाली पत्नि श्री कृपेश परेशभाई भंसाली भावी दत्तक माता-पिता जिनका रजिस्ट्रीकरण संख्या **PrGu105320206** है, के साथ बालक हेनील जन्मतिथि **13.09.2020** (बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण के लिये विधिक रूप से स्वतंत्र होना प्रमाणित किया गया) के दत्तक ग्रहण की अनुमति देता हूँ :
- (i) भावी दत्तक माता-पिता अर्थात् श्री कृपेश परेशभाई भंसाली पुत्र श्री परेश चत्रभुज भाई भंसाली एवं श्रीमती वैशाली कृपेशभाई भंसाली पत्नि श्री कृपेश परेशभाई भंसाली दत्तकग्रहण के लिये पात्र और उपयुक्त पाये गये हैं (देश के भीतर दत्तक ग्रहण के मामले में दत्तकग्रहण समिति के कार्यवृत्त के आधार पर)।
- (ii) किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 और दत्तकग्रहण विनियम 2022 में यथा उपबंधित सम्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।



  
 जिला कलक्टर  
 भरतपुर

(iii) किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 63 के अनुसार, हेनील नाम के बालक, जन्मतिथि 13.09.2020 जिसके सम्बन्ध में आज दिनांक 20.03.2024 को एक दत्तकग्रहण आदेश जारी किया गया है, दत्तक ग्रहण आदेश प्रभावी होने की तारीख से निर्वसीयता सहित सभी प्रयोजनों के लिये इस प्रकार दत्तक माता-पिता श्री कृपेश परेशभाई भंसाली पुत्र श्री परेश चन्द्रमुज भाई भंसाली एवं श्रीमती वैशाली कृपेशभाई भंसाली पत्नि श्री कृपेश परेश भाई भंसाली की संतान बन जाएगा और दत्तक माता-पिता बालक के माता-पिता बन जाएंगे जैसे कि बालक का जन्म दत्तक माता-पिता से हुआ हो और इसी तारीख से बालक के जन्म लेने वाले परिवार के साथ बालक के सभी सम्बन्ध समाप्त माने जाएंगे और दत्तकग्रहण आदेश द्वारा दत्तकग्रहण परिवार में सृजित सम्बन्धों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

(iv) जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 (1869 का 18) के तहत अधिसूचित स्थानीय रजिस्ट्रार को, भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार, माता-पिता के रूप में दत्तकग्रहण आदेश में उल्लिखित दत्तक माता - पिता का नाम और बालक की जन्मतिथि को समाविष्ट करते हुए विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेन्सी या दत्तक माता-पिता द्वारा फाइल आवेदन पर दत्तक बालक के पक्ष में पाँच दिन के भीतर जन्म प्रमाण जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

(v) बालक परित्यक्त बालक है, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा जिला बालक संरक्षण ईकाई द्वारा अभिहित पोर्टल पर बालक की प्रास्थिति अद्यतन की जाए।



(डॉ. अमित यादव)  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
भरतपुर

क्रमांक : दत्तकग्रहण आदेश / कोर्ट / 2024 /  
प्रतिलिपि :-

158-163

दिनांक : 20/3/24

1. आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
2. सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर।
3. अधीक्षक, राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी भरतपुर।
4. अध्यक्ष बाल कल्याण समिति भरतपुर।
5. दत्तक माता-पिता श्री कृपेश परेशभाई भंसाली एवं श्रीमती वैशाली कृपेशभाई भंसाली निवासी "सच पैलेस" गुनातीत नगर, गली संख्या 01, रैया टैली एक्स, 150 फीट रिंग रोड राजकोट (गुजरात)।
6. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. अमित यादव)  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
भरतपुर